सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून, 248006

दूरभाष न0– 0135–2662021, फैक्स न0– 0135–2662180

ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक 1110 / उ0सू0आ0 / 203 / 2023–24 दिनांक 4/5 2023

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किये जाने वाले पत्राचारों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1239 / XXXI(15)G/22-06(सा0) / 2016 दिनांक 25.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विभागों में नामित लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अपीलीय अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किये जाने वाले समस्त पत्राचार में पत्र प्रेषित करने वाले का नाम, पत्राचार के पते में डाकघर के पिनकोड और कार्यालय का दूरभाष नम्बर, अपना मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 अंकित करने हेतु, प्रभावी कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्राप्त होने वाली द्वितीय अपील और शिकायत के प्राप्त होने की सूचना, सुनवाई का नोटिस, अंतरिम / अंतिम आदेश और सुनवाई की तिथि में संशोधन की सूचना वर्तमान में पक्षकारों को डाक के माध्यम से प्रेषित की जाती है। आयोग के द्वारा प्रेषित पत्र डाक विभाग के द्वारा समय पर उपलब्ध न कराये जाने और डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित किये जाने पर हो रहे अत्यधिक व्यय के दृष्टिगत मा0 आयोग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि भविष्य में आयोग के द्वारा प्रेषित किये जाने वाले समस्त पत्र लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाएंगे और लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों को इसकी सूचना उनके मोबाइल नम्बर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

आयोग के द्वारा लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रेषित किये जाने वाले पत्र ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किये जा सके और उसकी सूचना उनके मोबाइल नम्बर पर भी प्रदान की जा सके इस हेतु कृपया अपने स्तर से विभाग में नामित समस्त सहायक लोक सूचना अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अपीलीय अधिकारी को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किये जाने वाले समस्त पत्राचार में अपना मोबाइल नम्बर और ई–मेल आई0डी0 का अंकन अवश्य करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अनिल चन्द्र पुनेठा)
मुख्य सूचना आयुक्त